

## प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के अन्तर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सामान्य क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न विभागों तथा स्वायत्त इकाईयों की विषयक लेखापरीक्षा, मुख्य नियंत्रक अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का समावेश है।

वित्त लेखों तथा विनियोजित लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रतिवेदन को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उन मामलों में से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखों की जाँच में लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही वे मामले हैं जो पिछले वर्षों में सामने आए, परंतु इन्हें पिछले प्रतिवेदनों में नहीं दिया जा सका; 2011-12 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामलों का भी, जहाँ आवश्यक है, समावेश किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुपालन में संचालित की गई है।